तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<u>एकल–पीठ</u> **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं एकपक्षीय कार्यवाही। **<u>आदेश</u>** **दिनांकः– जून, 2019** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 10/2002 बउनवान भैरूलाल बनाम नारायणी में पारित आदेश दिनांक 16–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– बहस उभयपक्ष की सुनी गयी। 3– विद्धान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी–वादी भैरूलाल द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष एक राजस्व वाद इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष विवादित भूमि खसरा नबर 435/2 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम तांस्या तहसील मालपुरा बाबत् पेश किया गया। दौराने वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 16–10–2004 द्वारा वादी की शहादत उपस्थित नहीं होना मानकर वाद को अदम तकमील में खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि शहादत पेश करने के लिए वादी सदैव तत्पर रहा है किन्तु कभी पीठासीन अधिकारी का प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहना तो कभी अवकाश पर होना तो कभी पद रिक्त होने से वादी शहादत पेश	

	नहीं कर सका। वादी की इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं रही है। परीक्षण न्यायालय ने समुचित अवसर दिये बगैर ही वादी की शहादत बन्द कर दी है। जबकि न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि तकनीकी आधार पर वाद का निस्तारण नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति दिलाकर भी वादी को शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकती थी परन्तु ऐसा नहीं कर सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अन्त में उनका कथन है कि निगरानी स्वीकार की जावे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2004 निरस्त किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जावे कि वादी की शहादत लेकर वाद का निर्णय गुणावगुण पर प्रदान किया जावे। 4–हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 5– परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्टतः जाहिर है कि प्रार्थी–वादी को शहादत पेश करने के लिए समुचित अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु वादी द्वारा अपनी शहादत पेश नहीं की गई है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा वादी की शहादत बन्द कर वाद को अदम तकमील में खारिज किया गया है। जबकि हमारे विनम्र मत में प्रार्थी–वादी द्वारा प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाकर शहादत पेश करने का एक अन्तिम अवसर दिया जाना उचित है। वैसे भी न्याय निर्णयन के लिए तकनीकी आधारों पर आदेश पारित नहीं कर गुणावगुण पर ही आदेश पारित किया जानाचाहिए। 6– अतः निगरानी सर्शत आंशिक स्वीकार की जाती है कि यदि वादी–प्रार्थी परीक्षण न्यायालय के समक्ष रूपये 2000/– (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) अप्रार्थी–प्रतिवादीगण को अदा कर	

	उसकी रसीद परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश कर देता है तो परीक्षण न्यायालय द्वारा एक अन्तिम अवसर वास्ते शहादत वादी को दिया जावे। यदि प्रार्थी–वादी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2004 यथावत रखा जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	